Certificate of Correctness

I undersigned Brij Mohan Gupta Translator/Vetter hereby certify the correctness of vetted Hindi Translation of the judgement Biswajit Sukil v. Deo Chand Sarda & Ors. [2018] 11 S.C.R 498 (Civil Appeal No. 9956 of 2018 for desired action.

(Brij Mohan Gupta)
09.10.23
Translator/Vetter

[2018] 11 एस. सी. आर 498

विश्वजीत सुकुल

बनाम

देव चंद सरदा और अन्य

सिविल अपील संख्या 9956/2018

सितंबर 25,2018

[अभय मनोहर सप्रे और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे।]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-आदेश 41.नियम 22-अपीलार्थी-वादी ने प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के खिलाफ किराए के बकाया और बेदखली के लिए वाद दायर किया-वाद को परीक्षण न्यायालय ने यह पाते हुए खारिज कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का किरायेदार था और उसने किराए के भुगतान में चूक नहीं की-वादी ने पहली अपील दायर की और प्रतिवादियों ने आदेश 41 नियम 22 के अन्तर्गत के तहत कोई प्रति-आपत्ति दाखिल नहीं किया-प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया और अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी नं.1 वादी का किरायेदार नहीं था-पुनरीक्षण याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया- प्रथम अपीलीय न्यायालय ने यह वाद विन्दु कि प्रतिवादी संख्या -1 वादी का किरायेदार था के विनिश्चय की वैधता और शुद्धता को तय करने में क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि की है, वादी ने अपनी पहली अपील में उक्त विनिश्चय को चुनौती नहीं दी थी क्योंकि इसका पहले ही उसके पक्ष में विनिश्चय किया जा चुका था-यद्यपि प्रतिवादियों के विरुद्ध इस वाद विन्दु पर प्रतिकूल निष्कर्ष था, लेकिन उन्होंने इसकी वैधता पर प्रश्न उठाते हुए कोई प्रति-आपत्ति दर्ज नहीं की थी-प्रथम अपीलीय न्यायालय को इस वाद विन्दु पर निष्कर्ष की वैधता और शुद्धता की जांच करने और वादी के खिलाफ इसे निरस्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि इसे प्रतिवादियों द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी-उच्च न्यायालय ने भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई क्षेत्राधिकारिता की त्रुटि को ध्यान में नहीं रखते हुए वही गलती की थी-इसलिए, वादी द्वारा दायर पहली अपील पर वाद विन्दु जो वादी के खिलाफ विनिश्चित किया गया है के गुणदोष पर वैधता एवं शुद्धता का निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया।

अस्वीकरण:–
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अपील को स्वीकृत करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

उच्च न्यायालय को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा केवल उन वाद विन्दुओ की वैधता और शुद्धता पर निर्णय लेने के लिए अपनी जांच को सीमित करते हुए गुण-दोष के आधार पर वादी की अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना चाहिए था,

वादी के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया और जिसके कारण वाद खारिज कर दिया गया।इस प्रकार, वादी (अपीलार्थी) द्वारा दायर पहली अपील पर उसके गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिप्रेषित किया गया जिससे उन वाद विन्दुओ की जांच की जा सके जो वादी के खिलाफ परीक्षण न्यायालय द्वारा विनिश्चित किए गए थे।[प्रस्तर 20 और 21] [502- 503-]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील संख्या 9956/2018

गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी के सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 381/2002 में निर्णय और आदेश दिनांकित 02.01.2014 से,मनोज गोयल, शवोदीप रॉय, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

अविजीत भट्टाचार्जी, श्रीमती उपमा श्रीवास्तव, अजय के. घोष, अभय कांत मिश्रा, सुशील कुमार काबरा, रामेश्वर प्रसाद गोयल, अधिवक्तागण प्रत्यर्थीगण के लिए।

न्यायालय का निर्णय अभय मनोहर सप्रे, जे. द्वारा दिया गया था

1.अनुमति दी गई।

2. यह अपील गुवाहाटी उच्च न्यायालय गुवाहाटी के सिविल पुनरीक्षण याचिका संख्या 381/2002 में अंतिम निर्णय और आदेश दिनांकित 02.01.2014 से उत्पन्न होती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा दायर सिविल पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया था।

3. अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद का मूल्यांकन करने के लिए, नीचे प्रासंगिक तथ्यों को निर्धारित करना आवश्यक है।

4. अपीलार्थी वादी होता है जबकि प्रत्यर्थीगण दीवानी वाद में प्रतिवादीगण होते हैं जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है।

अस्वीकरण:–
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

5. तुलापट्टी सिलचर शहर गाटा संख्या 257 (पुराना/58 नया) (जो इसके बाद "वाद परिसर" के रूप में संदर्भित किया गया है) में स्थित एक दुकान का मकान मालिक होने का दावा करने वाले अपीलार्थी (वादी) ने सिलचर में मुन्सिफ संख्या 01 कछार के न्यायालय में देव चंद सरदा (प्रतिवादी संख्या 1) के विरुद्ध सिविल स्वामित्व वाद संख्या 189/1977 वाद परिसर से बेदखली और किराये के बकाया हेतु संस्थित किया गया |

6. अपीलार्थी (वादी) के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 1 अपीलार्थी का मासिक किराए पर किरायेदार था। यह अभिकथन किया गया था कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को अग्रिम रूप से कुछ धन का भुगतान किया था, जिसे अपीलार्थी ने जुलाई 1977 की अवधि समाप्त होने पर देय किराए के बदले समायोजित किया | यह भी अभिकथन किया गया था इसके बाद प्रत्यर्थी बार-बार मांगों के बावजूद अगस्त 1977 से किराए का भुगतान करने में विफल रहा और इसलिए किराए के बकाया का दावा करने और किराए के भुगतान में प्रत्यर्थी को चूककर्ता के रूप में वाद परिसर से बेदखल करने के लिए वाद दायर किया गया था।यह मुकदमा असम शहरी क्षेत्र किराया नियंत्रण अधिनियम (संक्षिप्त अधिनियम के लिए) के प्रावधानों के तहत दायर किया गया था।प्रतिवादी संख्या 2 ने आवश्यक पक्ष होने का दावा का अभिकथन करते हुए खुद पक्षकार बन गया इसकी अनुमति दी गई थी। प्रत्यर्थीगण ने लिखित कथन दाखिल किया और वाद पत्र के तात्विक अधिकथनो का खंडन किया।

7. परीक्षण न्यायालय ने अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित वाद विन्दु विरचित किया |

"1. क्या वाद तथ्य एवं विधि में पोषणीय है ?

2. क्या वाद आवश्यक पक्षकारो के असंयोजन से दोष-पूर्ण है?

3. क्या इस वाद के लिए वाद कारण है?

4. क्या प्रतिवादी संख्या 1 वाद गृह में वादी के अधीन किरायेदार है और यदि ऐसा है तो क्या प्रतिवादी संख्या 1 अगस्त 1977 से किराए के भुगतान में चूककर्ता है?

5. क्या वादी डिक्री का अधिकारी है जिसके लिए प्रार्थना की गई है?

6. किस-किस अनुतोष/अनुतोषो के पक्षकार अधिकारी पाए जाते हैं?"

अस्वीकरण:–
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

8. पक्षकारो ने अपने-अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए | परीक्षण न्यायालय ने निर्णय/डिक्री दिनांकित 23.12.1999 द्वारा वाद को खारिज कर दिया। जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 1 का संबंध है, विचारण न्यायालय ने वादी के पक्ष में यह अभिनिर्धारित किया कि वाद विचारणीय है।जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 2 का संबंध है, यह वादी के पक्ष में अभिनिर्धारित किया गया कि वाद आवश्यक पक्षोंकारो के असंयोजन के लिए दोषपूर्ण नहीं है | जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 3 का संबंध है, यह वादी के विरुद्ध अभिनिर्धारित किया गया कि वाद दायर करने के लिए कोई वाद कारण नहीं था।जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 4 का संबंध है, इसे दो भागों में विभाजित किया गया था।जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, यह वादी के पक्ष में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 वाद परिसर के संबंध में वादी का किरायेदार था।दूसरे शब्दों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि मकान मालिक और किरायेदार का संबंध वाद परिसर के संबंध में वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच सिद्ध पाया जाता है।जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 4 के दूसरे भाग का संबंध है, वादी के विरुद्ध यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी को किराये के भुगतान में चूककर्ता नहीं है। इन चार वाद विन्दुओ का विनिश्चय करते हुए, परीक्षण न्यायालय ने वादी को वाद को खारिज कर दिया।

9. वादी ने व्यथित महसूस किया और सिविल न्यायाधीश संख्या 1 (सिलचर) कछार के समक्ष पहली अपील दायर किया जिसका, शीर्षक अपील No.14/2000 थी।यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादियों ने अपील में प्रतिवादियों के खिलाफ परीक्षण न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए किसी भी निष्कर्ष के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 (इसके बाद "संहिता" के रूप में संदर्भित) के अन्तर्गत कोई प्रति-आपत्ति दाखिल नहीं की थी।

10. दिनांक 14.08.2002 के निर्णय द्वारा, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया।वादी ने व्यथित महसूस किया और गुवाहाटी उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण दायर किया। आक्षेपित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) ने वादी के पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जिसके कारण इस न्यायालय में वादी द्वारा विशेष अनुमति के माध्यम से वर्तमान अपील दाखिल किया गया|

11. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज गोयल और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री अविजीत भट्टाचार्जी को सुना।

अस्वीकरण: –
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

12. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और प्रकरण के अभिलेखों के अवलोकन पर, हम आंशिक रूप से अपील की स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं और प्रथम अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिपेषित करते हैं जिससे गुण-दोष पर विधि के अनुसार जैसा कि यहां नीचे निर्देश दिया गया है पहली अपील पर निर्णय लिया जा सके |

13. हमारी सुविचारित राय में, प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिपेषित करने की आवश्यकता एक से अधिक कारणों से उत्पन्न हुई है जैसा कि नीचे उल्लेख किया गया है।

14. सबसे पहले, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग की वैधता और शुद्धता को गुण-दोष के आधार पर तय करने में अधिकारिता की त्रुटि की।

15. केवल विचारण न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह पता चलता है कि वाद विन्दुओ का विनिश्चय करते समय, विचारण न्यायालय ने वाद विन्दु संख्या 4 को दो भागों में विभाजित किया था। जहाँ तक पहले भाग का संबंध है, यह इस प्रश्न के संबंध में था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 वादी का किरायेदार था या नहीं।दूसरे शब्दों में, यह इस प्रश्न के संबंध में था कि क्या वादी वाद परिसर के संबंध में अपने और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच मकान मालिक और किरायेदार के संबंध को साबित करने में सफल था।वास्तव में, यह वाद में अन्तर्ग्रस्त मुख्य प्रश्नों में से एक था।

16. यह प्रश्न, अर्थात वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग का विनिश्चय विचारण न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में किया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का किरायेदार था।जहाँ तक वाद विन्दु संख्या 4 के दूसरे भाग का संबंध है, यह इस प्रश्न के संबंध में था कि क्या प्रतिवादी संख्या 1 वादी को किराए के भुगतान में चूककर्ता था।इस प्रश्न का उत्तर वादी के विरुद्ध और प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया था जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को किराए के भुगतान में कोई चूक नहीं की थी।यही कारण है कि वाद खारिज कर दिया गया।

17. वादी ने अपनी पहली अपील में वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग पर परीक्षण न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी और यह सही भी है क्योंकि इसका विनिश्चय परीक्षण न्यायालय ने पहले ही उसके पक्ष में दे दिया था। इसलिए,प्रथम अपीलीय न्यायालय, वादी की अपील में इस निष्कर्ष की वैधता और शुद्धता की जांच नहीं कर सकता था, जब तक की अपील में दीवानी प्रक्रिया संहिता के

अस्वीकरण:–
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

आदेश 41 नियम 22 के तहत प्रतिवादियों द्वारा प्रति आपत्ति दाखिल करके इसे चुनौती नहीं दी गई थी।

18. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों के विरुद्ध यदपि कि वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग पर प्रतिकूल निष्कर्ष था,लेकिन उन्होंने इसकी वैधता पर प्रश्न उठाते हुए कोई प्रति-आपत्ति दर्ज नहीं की। प्रकरण में उत्पन्न होने वाले इन स्वीकृत तथ्यों के आलोक में, प्रथम अपीलीय न्यायालय के पास वादी की अपील में वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग पर निष्कर्ष की वैधता और शुद्धता की जांच करने और वादी के खिलाफ इसे निरस्त करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

19. दूसरा, उच्च न्यायालय ने भी प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा की गई उपरोक्त क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि पर ध्यान नहीं देकर यही गलती की।उच्च न्यायालय ने वादी के पुनरीक्षण में पुनः गुण-दोष के आधार पर वाद विन्दु संख्या 4 के पहले भाग के निष्कर्षों की वैधता पर परीक्षण किया और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि की।इस निष्कर्ष को उच्च न्यायालय द्वारा केवल इस संक्षिप्त आधार पर निरस्त कर दिया जाना चाहिए था कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को वादी की अपील में इसकी जांच करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

20. हमारी राय में, उच्च न्यायालय को उपरोक्त गलती पर ध्यान देना चाहिए था और वादी की अपील पर गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिपेषित कर देना चाहिए था, जो केवल अपनी जाँच को उन वाद विन्दुओ की वैधता और शुद्धता तक सीमित रखेगा जिनका विनिश्चय वादी के खिलाफ विचारण न्यायालय द्वारा किया गया था और जिसके कारण वाद खारिज कर दिया गया था।

21. हमारी राय में, हमने जो ऊपर अभिनिर्धारित किया है, उसके आलोक में, हमारे पास प्रथम अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश निरस्त करने और वादी (इसमें अपीलार्थी) द्वारा दायर पहली अपील पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय को प्रतिपेषित के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, जिससे केवल उन वाद विन्दुओ की वैधता और शुद्धता की जांच की जा सके जो वादी के विरुद्ध परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया था, जैसे कि वाद विन्दु संख्या 3 और वाद विन्दु संख्या 4 का दूसरा भाग।

22. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि चूंकि प्रतिवादियों ने दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 22 के तहत अपील में कोई प्रति-आपत्ति दर्ज नहीं की थी, इसलिए उन्हें इस न्यायालय द्वारा

अस्वीकरण:–
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रथम अपीलीय न्यायालय में अपील के प्रतिप्रेषण का लाभ उठाते हुए ऐसे विलंबित चरण में प्रति-आपत्ति प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

23. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और अपील तदनुसार स्वीकार किया जाता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को निरस्त किया जाता है। वादी की पहली अपील पर ऊपर उल्लिखित कानून के अनुसार गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए प्रकरण को प्रथम अपीलीय न्यायालय में प्रतिपेषित किया जाता है।

24. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने ऊपर उल्लिखित कारणों से प्रकरण को प्रतिपेषित करने के लिए विचार बनाने के बाद विवाद के गुणदोष पर अपना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग नही किया गया और इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय हमारी किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना गुण-दोष पर वादी की पहली अपील का निर्णय करेगा। अपील पर 6 महीने के भीतर निर्णय हो।

अंकित ज्ञान अपील स्वीकार की गई।

अस्वीकरण: –
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"